भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. 137*
(03 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता

137*. श्री पलवई गोवर्धन रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना देश में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में, ग्रामीण सड़कों की दशा सुधारने में कितनी सहायक रही है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत अनुसरण किए जा रहे ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी और नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मंत्रालय ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी और पद्धतियां अपनाने के लिए क्या-क्या प्रयास कर रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री लालचंद कटारिया)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 137 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी सभी पात्र बसावटों को कोर नेटवर्क के अनुसार बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के माध्यम से वर्ष 2000 से पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन कर रहा है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अक्टूबर, 2012 तक 361698 कि.मी. लंबाई के 91668 सड़क कार्य पूरे किए गए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, राज्य सरकार ने आज तक 21918 कि.मी. लंबाई के 6946 सड़क कार्यों के पूरा होने की जानकारी दी है।

(ख): राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों में आईआरसी की ग्रामीण सड़क नियमावली (आईआरसी एसपी 20:2002) तथा कम मुटाई वाली सड़कों की डिजाइन की नियमावली (आईआरसी: एसपी : 72-2007) में दिए गए तकनीकी विनिर्देशनों और ज्यामितिक डिजाइन मानकों का अनुपालन किया जाएगा। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निर्माण की लागत में किफायतीपन लाने के लिए इस मंत्रालय ने पीएमजीसवाई के अंतर्गत मानकों और विनिर्देशनों की समीक्षा करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया था और मंत्रालय ने इस विशेषज्ञ समिति की अंतिम सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था तथा पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ ये सिफारिशें 30 सितम्बर, 2010 को सभी राज्यों को भेज दी गई थीं।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं. 137 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	जिला का नाम	शुरू की गई ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की संख्या				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	श्रीकाकुलम	79	53	37	15	10
2	विजयानगरम	75	52	39	11	10
3	विशाखापतनम	63	60	56	36	26
4	पूर्वी गोदावरी	106	83	53	15	21
5	पश्चिमी गोदावरी	74	68	61	30	12
6	कृष्णा	73	66	50	18	11
7	गुंटूर	73	64	41	32	18
8	प्रकाशम	50	41	26	44	20
9	नेल्लोर	71	67	56	9	23
10	चित्तूर	95	79	48	19	7
11	कुडप्पा	114	90	68	20	13
12	अनंतपुर	114	79	60	94	49
13	कुर्नूल	65	59	50	24	24
14	महबूबनगर	54	47	29	15	27
15	रंगारेड्डी	32	22	17	8	7
16	नालगोंडा	94	60	42	29	25
17	मेडक	43	31	20	38	8
18	निजामाबाद	67	35	20	10	9
19	वारंगल	90	74	41	22	28
20	खम्माम	49	35	23	10	204
21	करीमनगर	84	68	33	9	18
22	आदिलाबाद	42	35	24	42	72
	कुल	**1,607**	**1,268**	**894**	**550**	**642**